

बिहार लोक सेवा आयोग,  
15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना

**आवश्यक सूचना**


स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित वि.सं. 09/2017 (बायोकेमेस्ट्री), 11/2017 (माईक्रोबायोलॉजी), 12/2017 (पैथोलॉजी), 15/2017 (औषधि), 24/2017 (निश्चेतना) एवं वि.सं. 28/2017 (हड्डी) के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अर्हित एवं अनर्हित उम्मीदवारों की सूची आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित है। सूची में अनर्हित उम्मीदवारों को यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में प्रमाण के साथ अभ्यावेदन सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या आयोग के E-mail- [bpscpat-bih@nic.in](mailto:bpscpat-bih@nic.in) के माध्यम से दिनांक 05.01.2018 तक दे सकते हैं। विचारोपरान्त अर्हित पाये जाने पर उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित किया जायेगा। उम्मीदवार सूची में अपने नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर अनुक्रमांक ज्ञात कर अर्हता/अनर्हता की स्थिति से अवगत हो सकते हैं।

2. वैसे आवेदक जिन्होंने वि.सं. 09/2017, 11/2017, 12/2017, 15/2017, 24/2017 एवं 28/2017 के विरुद्ध आवेदन समर्पित किया है, परन्तु अर्हता एवं अनर्हता की सूची में उनका नाम नहीं है तो वे भी अपना अभ्यावेदन साक्ष्य के साथ सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या आयोग के E-mail- [bpscpat-bih@nic.in](mailto:bpscpat-bih@nic.in) पर दिनांक 05.01.2018 तक (निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट पर्ची, शुल्क जमा करने के चालान आदि के साथ) दे सकते हैं। निर्धारित तिथि तक अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

3. अर्हित उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक 18.01.2018 से 24.01.2018 तक आयोजित किया जायेगा जिसका विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. सभी अर्हित उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।

5. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

  
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना